

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय स्तर:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी कार्यान्वित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वीटिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमांक दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघटित हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मसी कार्यान्वित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिख गए विज्ञापन नं०: अनुक्रम सं संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नोक्तित सत्रों के अधीन परावर्तक एवं उपर्युक्त अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते एवं नाम : 4082-MAHARISHI COLLEGE OF PHARMACY			
क्रमसं०	पठ्यक्रम का नाम	ए०आई०बी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा: अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के सत्र संख्या 311/T1-3009/3/2022 दिनांक 16 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित लखनऊ संघटनों को लॉट के विस्तृत तकनीकी नक्शानाम में लॉटिंग विर. प्राविधिक संख्या 5227/2023 में तकनीकी नक्शानाम के अधीन निम्न क अधीन सम्बद्धता मिले की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कार्यान्वित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा नियमित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अधीन राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कार्यान्वित ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में नामांकन के अनुक्रम संख्या में समान संस्थाएं (धुमि: पथन, लेब इत्यादि) लॉट उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद नियमसंख्या: 1987, दिनांक 04/08/2000, संशोधन दिनांक 04/08/2010 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा तुल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/सत्र में प्रदान किया जाएगा। संस्था के अधिकृत कार्यपालकों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सलम द्वारा लिख किये जाने वाले शासनादेशों प्रभावी होंगे और अनुपालन कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा लॉट सत्र 2023-24 हेतु लॉट का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो लॉट की तारीख पर रहेगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करेगी को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुपालन निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान द्वारा प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित विधि/विधियाँ/अधिविधियाँ/आवक्यदेहों/विधियों एवं विदेशिक, प्राथमिक शिक्षा, उपाधी, अनुसूचक प्रवेश परीक्षा परिषद, आरपीए तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, राज्या द्वारा बनाने एवं नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये लागूकरोगे।
- ✓ यदि संस्थान का अभ्यर्थित भारतीय उपाधीकी शिक्षा परिषद/पारसी कानूनिकल जीए इटिव नई दिल्ली से अनुमोदन लिखा गया है तो इस संस्थान में संस्थान उपलब्धिय संस्था का योग और शैक्षिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था का अनुमोदन होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुसूचक प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश परीक्षा के विरुद्ध यदि कोई उपाध दाखल किया जाता है तथा दाखल कर के संस्था में या, ज्ञापनार्थक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी कदम निर्धार किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुसूचक प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रस्ताव वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्रवेश होने के पूर्व अधिनियम भारतीय उपाधीकी शिक्षा परिषद/पारसी कानूनिकल जीए इटिव नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद अधिनियम को उपलब्ध कराने होगा। संस्था उसे प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उपाध प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश हेतु संस्था संस्था पर निर्दिष्ट गठनित आदेशिका नियमों का अनुपालन करना आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के आधिकारिक पते पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक युक्ति युक्ति, संस्था, साधन-संसाधन, उपकरण, आदि लिखा जाने वाला सूचना, आकाशवाच सुनना आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त साधन-संसाधन उपलब्ध कराने के साथ शिक्षण (उपाध) के सम्बन्ध में संस्था आकाशवाच कार्यक्रम सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासिक/संचालित परामर्शक को बनाने वाले हेतु निर्देशित शक्ति के अभाव उपलब्ध कराने पर अधिनियम, भूमि-भवन, कर्तव्य, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी उपाध परामर्शक के संसाधन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की समस्त उपाध समाप्त किया जाने को कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उपाध प्रवेश प्राथमिक शिक्षा (अधिविधि) और उपलब्धिय (अधिविधि) संस्थाओं पर सम्बद्ध किया जाता। अधिनियम, 2000 के अधिनियम/संयुक्त परिषद की यात्रा पर अपने कार्यवाही, मानों और कर्तव्य को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्वीकृत निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, पर्याप्तता, उपकरण एवं अन्य साधन-संसाधन एड-आउट/भीटाउट/एड-आउट/भीटाउट/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्त का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निदेशावधार अनुसूचक/संयुक्त कार्यवाही की जायेगी।



(अशु कुमार सिन्घ)

सचिव

पु0सं0- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक MAHARISHI COLLEGE OF PHARMACY



(अशु कुमार सिन्घ)

सचिव

**कार्यालय,
समिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/8785

सम्बद्धता दिनांक: 20/09/2022

कार्यालय ज्ञापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यान्वित और इम्पेडिबल, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-23 हेतु अखिल नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सत्रों पर विचार करते हुए सत्र 2021-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-


संस्था का कोड एवं नाम : 4082-MAHARISHI COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, संशोधन विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शूल्स निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूल्स तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500 00/- प्रतिवर्ष शूल्स ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किए जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिकाओं से शूल्स के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूल्स जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशांक प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि सम्पत्ति का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्पत्ति उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक कण से किसी भी ज़ावेबाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, सांयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के दिशिक्ष प्रवि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में संस्था न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्पत्ति प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को सांयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्पत्ति सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-साज, उपकरण, प्रायुध किया जाने वाला यन्त्र, छात्रवास यन्त्र आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में सम्पत्ति आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, जमीन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अधिकतम स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-साज ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जाएगी।


(एफ0आर0 खान)

सचिव

पू0सं0- प्राविध/परिषद तन्वद्धता/2022/8786-8924

दिनांक: 20/09/2022

प्रतिष्ठान-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAHARISHI COLLEGE OF PHARMACY


(एफ0आर0 खान)

सचिव

कार्यालय,

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या: प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय तार:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वीकिक संख 2021-22 हेतु विज्ञापन संख्या तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्थाओं से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा संख 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीन विचार कर्तों हुए संख 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संख 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4082-MAHARISHI COLLEGE OF PHARMACY, PARSARA
BHARWAR, KAUSHAMBI-212201

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 परिषद द्वारा संख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की सभी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती-1992, सेमेस्टर विनियमवर्ती-2016 तथा अन्य विनियम निर्णय एवं जर्नलों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इन्टी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक पाठ्यक्रम से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शुल्क/छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर कलम द्वारा निर्गत किटे जन्मे काले सम्बन्धों प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निर्धारण सभित्तु द्वारा संख 2021-22 हेतु परिसर का पुनर्निर्धारण किया जाये है, जो वीस की नवीकरण पर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (ए0आई0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवर्ती-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सशुल्क जर्नल परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही जर्नल की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आर्०सी०टी०ई०/पी०सी०आर्०टी० से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने वाले प्रौद्योगिकी/निर्माण/अधिनिर्माण/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०आर्०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०आर्० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०आर्० द्वारा बनाने वाले विषयों, विनियमों, अदेशों, निर्देशों का पालन करते हुए विधे कार्य करेगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उपरदायित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्रवाई के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी शर्त टापर किया जा सकता है तथा शासन कद के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करती होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रारंभिक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा-निर्माण प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आर्०टी० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्रवाई) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वांगीण आदेशों/विषयों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविष्टि हेतु वास्तुगत वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक वातवरण सुनिश्चित करेगी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को पठाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराए गए अभिलेख भूमि-भारण, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भारण, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आर्०सी०टी०ई०/पी०सी०आर्०टी०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुवासात्मक कार्रवाइ की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रातिनिधि:-

प्राध्यापक/निदेशक, MAHARISHI COLLEGE OF PHARMACY, PARSARA BHARWARI, KAUSHAMBI-212201



(सुनील कुमार सोनकर)

